

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
(PRINCIPAL BENCH), NEW DELHI
M.A.NO. OF 2017
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 199 OF 2014**

IN THE MATTER OF:
ALMITRA H. PATEL & ANR. ...APPLICANTS
Versus
UNION OF INDIA & ORS. ...RESPONDENTS

INDEX

<u>SL. NO.</u>	<u>PARTICULARS</u>	<u>PAGE(S)</u>
1.	Reply in compliance to the Judgment dated 22.12.2016 and order dated 07.02.2017 on behalf of State of Rajasthan with affidavit	902-911
2.	<u>APPENDIX-1</u> Relevant sections 226 to 232 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009.	912-916
3.	<u>ANNEXURE RA1</u> A copy of the brief action plan for Implementation of the Solid Waste Management under Swachh Bharat Mission (Urban) in the State of Rajasthan	917-921
4.	<u>ANNEXURE RA2</u> A copy of the Policy for Management of Solid Waste/Bio-Medical Waste in Urban Areas of Rajasthan	922-942
5.	<u>ANNEXURE RA3</u> A copy of the List of proposed cluster for Re-Tendering.	943-946
6.	<u>ANNEXURE RA4</u> A list of citywise status of Processing and Disposal of Municipal Solid Waste	947-949

Place: New Delhi
Dated : 28 .02.2017

Filed Through:

Saurabh Shy
S.S. Shamsbery AAG
For State of Rajasthan
4, Bikaner House,
Pandara Road,
New Delhi
Mob: 9013381632
Email:- aagoffice.raj@gmail.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
(PRINCIPAL BENCH), NEW DELHI
M.A.NO. OF 2017
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 199 OF 2014**

IN THE MATTER OF:

ALMITRA H. PATEL & ANR.

...APPLICANTS

Versus

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENTS

**REPLY IN COMPLIANCE TO THE JUDGMENT DATED
22.12.2016 AND ORDER DATED 07.02.2017 ON BEHALF OF
STATE OF RAJASTHAN.**

1. This Hon'ble Tribunal vide its judgment dated 22.12.2016 was pleased to pass, in the interest of environment and public health, a set of comprehensive directions to ensure effective and expeditious implementation of the Solid Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as MSW Rules of 2016). In pursuance to the judgment dated 22.12.2016 and vide order dated 07.02.2017 of this Hon'ble Tribunal the State of Rajasthan has taken all necessary measures in this regard.

Total Solid waste generated in all ULBs	6400 MT per Day
Total Waste treated	610 TPD at Jaipur (350 TPD at Langriawa notice to be given for proper running and 25 TPD at Sewapura) vermy composting : Pratapgarh (6 TPD) Composting at Dungarpu (4TPD)
Plants under execution	525 TPD
Bids approved Compost+RDF	2500 TPD Composting +RDF
Bids approved Waste to Wealth (WtE)	1300 TPD WtE about 15 MW

(A copy of the brief action plan for Implementation of the Solid Waste Management under Swachh Bharat Mission (Urban) in the State of Rajasthan is enclosed herewith and marked as **Annexure RA-1 at page 917-921**)

2. It is submitted that the State of Rajasthan has issued a Policy for Management of Solid Waste/Bio Medical Waste in the urban areas of the State. Under the said Policy provisions are made out for handling Solid waste in pursuant to the MSW Rules, 2016. Under the said policy framework, State Level Empowered Committee as well as District level Committees has been constituted for proper and effective management of Municipal Solid Waste. (A copy of the Policy for Management of Solid Waste/Bio-Medical Waste in Urban Areas of Rajasthan is annexed herewith and marked as **Annexure-RA-2 at page 942-942**)

3. It is submitted that there are a total of 190 Urban Local Bodies (hereinafter referred as ULBs) in State of Rajasthan. Out of 190 ULBs land has been made available/allocated to 171 ULBs for the purpose of processing and disposal of municipal solid waste and for the remaining 19 ULBs, DO letter has been sent to the respective District Collectors for identification/allotment

of land for processing and disposal of municipal solid waste.

4. It is submitted that the State of Rajasthan has formulated 14 clusters comprising of 111 ULBs for the purpose of proper management and monitoring of municipal solid waste and work order has been issued to concerned firms for the preparation of Detailed Project Report for all the 14 clusters. The Detailed Project Report has been approved for 71 towns by High Powered Committee for funding under Swachh Bharat Mission and for the remaining towns work is under progress.
5. That the Rajasthan State Government has enacted section 226 to 236 in the Rajasthan Municipalities Act, 2009 for prohibition of littering, door to door collection of garbage, secondary storage of garbage in bins/containers, and transportation in covered fast moving vehicles, and processing/conversion of garbage to useful product.
6. It is submitted that the State of Rajasthan has started a Grievance Redressal Cell whose primary objective is disposal, redressal and disbursement of the issues relating to the Solid Waste Management. The 'Swachhta App' covered under the Swachh Bharat Mission, is also

fully functional is an important component of the Solid Waste Management in the State.

7. It is further submitted that Rajasthan Urban Infrastructure Development Project (RUIDP) have developed Engineering Scientific Sanitary Landfill Sites at divisional headquarters namely Jaipur, Jodhpur, Kota, Bikaner & Ajmer in Phase-I, and for Alwar, Jhalawar, Jaisalmer, and Rajsamand are under development in Phase-II.
8. That at this juncture, it is relevant to mention herein that the Rajasthan Awas Vikas & Infrastructure Limited have developed Solid Waste Compost Plants at Alwar, Bhartpur, Pali & Bhilwara. Further upgradation work of these plants have been taken up under Swachha Bharat Mission (Urban) scheme.
9. It is submitted that to improve the municipal solid waste management and bringing it in parlance with MSW Rules, 2016 Local Self-Government Department, Govt. of Rajasthan, Jaipur has issued express guidelines for Implementation of MSW Rules, 2016 under Swachh Bharat Mission.
10. It is submitted that Regarding Solid Waste Management IEC (Information Education & Communication) activities to ULBs

for public awareness the State of Rajasthan has framed Implementation strategy for Solid Waste Management having express provisions that the Municipal Authority may mobilize NGOs or co-operative societies to take up the work of organizing street rag-pickers and convert them to door step "waste collectors" by motivating them to stop picking up soiled and contaminated solid waste from the streets, bins or disposal site and instead improve their lot by collecting recyclable clean material from the doorstep at regular intervals. Also through several street shows and campaigns in the schools are organized on regular basis. For giving a strong base to this campaign several "brand Ambassadors" are also appointed for increasing the knowledge among the individuals regarding the scope benefits of an effective Solid Waste Management.

11. That it is further submitted that in addition to above submissions State of Rajasthan through the Directorate, Local Bodies, Rajasthan, Jaipur has undertaken following works for the time bound and proper compliance of MSW Rules, 2016 :-

- i. Under its policy guidelines time bound action plan has been envisaged under a five year 2015-16 and closure by 2018-19 for all 190 ULBs. As per the guidelines of

Swachh Bharat Mission issued by the Ministry of Urban Development, Govt. of India for funding under Swachh Bharat Mission. During the five year plan phase a total of Rs. 1170.00 crores has to be spent out of which Rs. 763.00 crores and Rs. 407 crores has to be contributed by the Govt. of India and the Govt. of Rajasthan respectively. A total of 406.90 crores and Rs. 247.37 crores has been released so far by the Govt. of India and Govt. of Rajasthan respectively for scientific management of Municipal Solid Waste i.e. through door to door collection & transportation, processing & disposal. Further State of Rajasthan has released funds to ULBs a total sum of Rs 287.47 crore.

- ii. Bids for door to door collection and transportation of waste up to processing facility and processing of waste by using suitable Technology have been invited for all 184 ULBs whereby clubbing nearby towns in 111 Clusters but on this model no bidder participated. Further, it was decided that bids for door to door collection & transportation and for processing & disposal would be invited separately.

908

- iii. Local Self Government has finalized rate contract for equipment viz: Auto Hopper, Auto Tipper, Bin lifter for door to door collection and secondary storage bins, truck mounted refuse compactor for collection and transportation of waste up to processing plants. The ULBs have procured the equipment on approved rates for door to door collection and door to door collection started in 2400 wards out of 5247 wards in all the ULBs of Rajasthan. Furthermore, it is submitted that Directorate General of Supplies and Disposal Rate contract have been issued for containerized wheel barrow, containerized tricycle, garbage bins, litter bins and the same has been circulated to all ULBs for procurement of these equipment.
- iv. The processing of municipal solid waste of Jaipur, Kota and Jodhpur has been envisaged on waste to energy process. Feasibility report for waste to energy has been prepared accordingly following which bids were invited and finalized for establishment of waste to energy plants along with Sanitary landfill sites for Jaipur, Jodhpur and Kota.
- v. For processing & Disposal of waste for 45 clusters clubbing 110 ULBs have been invited on Viability Gap

Funding basis under Swachh Bharat Mission of district Head quarter and subsequently for all the major towns and towns having suitable land for processing and disposal of Municipal solid waste. Out of these clusters only 19 clusters bid for 25 ULBs have been received and finalized. Agreement executed/to be executed for these towns for establishment of processing plant based on Compost+RDF and will be completed within stipulated time period i.e. 18 months and the bids the rest of 47 clusters comprising 110 ULBs are re-invited for processing & disposal of waste on Viability Gap Funding basis under Swachh Bharat Mission and will be received on 27.02.2017.

- vi. Bid had been invited for processing and recycling of construction & demolition waste for 29 AMRUT towns on Viability Gap Funding basis but bids were only received for Jaipur and it is currently under financial evaluation. Whereas bids are re-invited for processing and recycling of construction & demolition waste for remaining 28 AMRUT towns on VGF basis and will be received on 27.02.2017. (A copy of the List of Tenders re-invited enclosed as **Annexure-RA-3** at page 943-946

- vii. A list of citywise status of Processing and Disposal of Solid Waste till 10.08.2016 is annexed herewith and marked as **Annexure RA-4-** at page 947-949)
- viii. Local Self Government has issued notification for user charges for Door to Door collection of Solid Waste dated 12.02.2015.

It is submitted that the State of Rajasthan is taking all necessary efforts for implementation of MSW Rules, 2016 throughout the State of Rajasthan.

DRAWN BY:

Ankit Raj, Advocate

FILED & SETTLED BY:

Sannabh 8/3
S.S. Shamsbery AAG
For State of Rajasthan
4, Bikaner House,
Pandara Road,
New Delhi
Ph.: 011-23074022

NEW DELHI

FILED ON: 28.02.2017

911

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
(PRINCIPAL BENCH), NEW DELHI
M.A. No. of 2017

IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 199 OF 2014

IN THE MATTER OF:

ALMITRA H. PATEL & ANR.

... APPLICANTS

Versus

UNION OF INDIA & ORS

... RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, K. K. Sharma, S/o Late Shri J. P. Sharma, aged about 59 years, working as Chief Engineer, Local Self Government Department, Jaipur, Rajasthan, presently at New Delhi, do hereby solemnly affirm and state as under:-

1. That I being the Officer- in-charge in the above mentioned Petition and is therefore fully aware with the facts and circumstances of the present case.
2. That I have read and understood the contents of the accompanying compliance report, the same are true and correct to the best of my knowledge and belief. Nothing material is concealed nor any part thereof is false.



That the annexures annexed to the Statue Report are true and correct copies of their respective originals.

[Handwritten signature]

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at New Delhi on this the 27 day of February, 2017 that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

27 FEB 2017

Identify the Deponent who has Signed and T... in my presence

Solemnly sworn before me and over & explained to the Deponent Admitted to the Oath
Oath Commissioner, New Delhi

[Handwritten signature]

DEPONENT

27 FEB 2017

APPENDIX - I

912

9 (550) राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 11, 2009 भाग 4 (क)

- (f) obstruct any officer or other employee of the Municipality in the discharge of his duties under this Chapter or refuse, or wilfully neglect, to furnish him with the means necessary for the making of any entry, inspection, examination or inquiry thereunder in relation to any water or sewage work, or
- (g) bathe in, at, or upon, any waterworks, or wash or throw or cause to enter therein any animal, or throw any rubbish, dirt or filth into any waterworks or wash or clean therein any cloth, wool or leather or the skin of any animal, or cause the water of any sink or drain or any steam-engine or boiler or any polluted water to turn, or to be brought, into any waterworks, or do any other act, whereby the water in any waterworks is fouled or is likely to be fouled.

(2) Nothing in clause (b) of sub-section (1) shall apply to a consumer closing the stopcock fixed on the service pipe supplying water to his premises so long as he has obtained the consent of any other consumer whose supply will be affected thereby.

225. Entrustment of operation and maintenance of sewerage works and billing and collection of sewerage charges.- The Municipality may, with the approval of the State Government, entrust the work of operation and maintenance of sewerage works in the municipal area and the work of billing and collection of sewerage charge or sewerage cess to any agency under any law for the time being in force or any private agency.

226. Duty of Municipality in respect of solid wastes management and handling.-(1) Subject to the provisions of section 4, the Municipality shall, within the Municipal area, be

responsible for implementation of the rules made by the Central Government in exercise of the powers conferred by the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act No. 29 of 1986) to regulate the management and handling of municipal solid wastes and for development of an infrastructure for collection, storage, transportation, processing and disposal of such solid wastes.

(2) Subject to the provisions of section 4, the Municipality shall, either on its own or through any other agency authorized by it in this behalf,-

- (a) organize collection of municipal solid wastes through any of the methods, like community bin collection (central bin), house-to house collection, and collection on regular pre-informed times and schedules,
- (b) devise collection of wastes from slums and squatter areas and other localities including hotels, restaurants, office complexes and commercial areas,
- (c) remove at regular intervals all solid wastes so collected under clause (a) and clause (b) for disposal on daily basis, and
- (d) arrange for making use of bio-degradable wastes from slaughter houses, meat and fish markets, and fruits and vegetable markets in an environmentally acceptable manner.

227. Entrustment of management and handling of solid wastes and billing and collection of charge.- Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act, for the purposes of management and handling of municipal solid wastes and for development of infrastructure, if any, for collection, storage, segregation, transportation, processing and disposal of such solid

wastes, a charge shall be levied, and payment thereof shall be made, at such rate as the Municipality may fix from time to time:

Provided that the charge as aforesaid shall, as far as practicable, be such as shall cover the costs on account of management and handling of municipal solid wastes and development of infrastructure, if any, for collection, storage, segregation, transportation, processing and disposal thereof and also the costs of debt-servicing, depreciation of plant and machinery, and other charges, if any:

Provided further that the Chief Municipal Officer may, with the prior approval of the Municipality, entrust development of infrastructure for collection, storage, segregation, transportation, processing and disposal of solid wastes and the work of management and handling of municipal solid wastes and of billing and collection of the charges as aforesaid to any agency under any law for the time being in force or to any other agency.

228. Solid wastes to be property of Municipality.- All solid wastes deposited in public receptacles, depots and places provided or appointed under sections 226 and all solid wastes collected by the municipal employees or contractors or any other agency authorized in this behalf shall be the property of the Municipality and the Municipality may dispose it as it may deem proper.

229. Appointment of places for disposal and final disposal of solid wastes.- The Municipality may, either on its own or through any other agency, cause the solid wastes to be disposed of at such place or places within or outside the municipal area, and in such manner, as it considers suitable:

Provided that no place which has not been used before the commencement of this Act for the purpose specified in this section, shall be so used, except-

- (i) in conformity with the provisions of any State law relating to development planning and land

use control or any other law relating thereto for the time being in force, or

- (ii) in the absence of any such law, with the approval of the State Government:

Provided further that the solid wastes shall not be finally disposed of in any manner which the State Government may think fit to disallow.

230. Duty of owners and occupiers of premises to store solid wastes at source of generation.- It shall be the duty of the owners and the occupiers of all lands and buildings in the municipal area-

- (a) to have the premises swept and cleaned on a regular basis,
- (b) to provide for separate receptacles or disposal bags for the storage of-
- (i) Organic and bio-degradable wastes,
- (ii) Recyclable or non-bio-degradable wastes, and
- (iii) Domestic hazardous wastes,
- so as to ensure that these different types of wastes do not get mixed,
- (c) to keep such receptacles in good condition and order, and
- (d) to cause all such wastes, including rubbish, offensive matter, filth, trade refuse, carcasses of dead animals, bio-medical wastes and other polluted and obnoxious matters to be collected from their respective premises and to be deposited in community bins or receptacles at such times and in such places as the Chief Municipal Officer may, by notice, specify.

231. Duty of Co-operative Housing Society, Apartment Owners' Association, etc. .- It shall be the duty of the managements of co-operative housing societies, apartment owners' associations, residential and non-residential building complexes, educational buildings, mercantile buildings, industrial buildings, storage buildings and hazardous buildings to provide at their premises community bins or disposal bags of appropriate size as may be specified by the Municipality for temporary storage of wastes (other than recyclable wastes), hazardous wastes, and bio-medical wastes and for their subsequent collection and removal by the Municipality .

232. Prohibitions.- No person and no owner or occupier of any land or building shall-

- (a) litter or deposit at any public place any solid waste,
- (b) deposit building rubbish in or along any public street, public place or open land,
- (c) allow any filthy matter to flow on public places, or
- (d) deposit or otherwise dispose of the carcass or any part of any dead animal at a place not provided or appointed for such purpose.

233. Punishment for littering on streets and depositing or throwing any solid waste.- Whoever litters any street or public place or deposits or throws or causes or permits to be deposited or thrown any solid waste or building rubbish at any place in contravention of the provisions of this Act, or permits the flow of any filthy matter from his premises, shall be liable to pay a penalty not exceeding five hundred rupees on the spot to be imposed by an officer authorized by the Municipality in this behalf .

// TRUE COPY // -

Local Self Government Department
Action Plan for Implementation of Solid Waste management (SWM) under
Swachh Bharat Mission (Urban) in State of Rajasthan

Introduction

"Swachh Bharat Mission" launched from 2nd Oct. 2014 to 2nd Oct. 2019.

Funding:

During the mission period Government of India providing Rs. 763.00Crore and Rs. 407.00 Crore shall be contributed by the States. Rs 409.60 crore released by GoI and the State matching share released Rs 247.37 GoR. Total released up to up to date is Rs 656.97 crore.

SBM components:**A. Open Defecation Free (ODF)**

- Construction of Individual Household toilets (IHHTs)
- Construction of Community Toilets (CTs)
- Construction of Public Toilets (PTs)
- Construction of Urinals

B. Solid waste management (SWM)

- Door to Door Collection & segregation at source
- Secondary storage and transportation
- Processing of waste
- Disposal of waste

A. Municipal Solid Waste Management (MSWM)

Municipal Solid Waste Management (MSWM) refers to a systematic process that comprises of waste segregation and storage at source, primary collection, secondary storage, transportation, secondary segregation, resource recovery, processing, treatment, and final disposal of MSW. Guidelines for Municipal Solid Waste Management (MSW) has been issued to all ULB.

- Detailed Project Reports (DPRs) for 117 ULBs are under preparation. 71 DPRs approved by HPC.
- Door to Door collection: Door to Door collection started in 2560 wards out of 5247 wards.

MSW generation and processing status:

Total Solid waste generated in all ULBs	6400 MT per Day
Total Waste treated	610 TPD at Jaipur (350 TPD at Langriawas notice to be given for proper running and 250 TPD at Sewapura) vermy composting at Pratapgarh (6 TPD) Composting at Dungarpur (4TPD)
Plants under execution	525 TPD
Bids approved Compost+RDF	2500 TPD Composting +RDF
Bids approved Waste to Wealth (WtE)	1300 TPD WtE about 15 MW

Action Plan/Blue prints for achieving ISWM:**Door to Door Collection:**

- Equipments are finalized for Mechanization for door to door collection and transportation and mechanical road sweeping by DGS&D rate contract by GoI and Annual rate contract by LSG. Procurement of these equipments started by ULBs as detailed below, ULB procuring equipment on DGS&D R/c provided by MoUD, GoI

S.No	Equipment	Ordered Qty.	Supplied
1.	Auto Hopper	207	155
2.	Auto tipper Bin lifer	195	130
3.	Compactor	8	5
4.	Containers 1.1 Cum	3623	2840
5.	Road Sweeper Truck Mounted	3	2
6.	Road Sweeper small	4	4

City wise Status of Processing & Disposal of waste:

918

S.No	City/Town	Processing Technology	Plant Capacity (TPD)	Highest Royalty payable by Contractor to ULB	Name of Firm	Status
1	Jaipur	WtE (RDF)	350	On PPP	M/s Grasim India Ltd	Under capacity running
2	Jaipur	Compost	250	Royalty	M/s IL&FS	Running full capacity
3	Jodhpur	Compost	150		Re-tender for O&M	Not running
4	Pratapgarh	Vermi Compost	6			Running
5	Dungarpur	Vermi Compost	4			Running
6	Bikaner	Compost+RDF	258	Tipping fee Rs 608 per ton on out put	M/s IL&FS	U/execution
7	Sikar	Compost+RDF	98	Tipping fee Rs 1000 per ton on out put	M/s IL&FS	U/execution
8	Karauli+Hindon+Gangapur	Compost+RDF	123	Tipping fee Rs 1000 per ton on out put	M/s IL&FS	U/execution
9	Rajsmad+Na thdwara	Compost+RDF	44	Tipping fee Rs 1095 per ton on output and disposal of waste	M/s Durga Impex Udaipur	U/execution
10	Sheoganj+Sumerpur+Takh atgarh	Compost+RDF	40	Tipping fee on input for Processing is Rs 351/Ton	M/s Durga Impex Udaipur	U/execution
11	Pali	Compost+RDF	93.03	Royalty Rs 301/Ton on SLF input	M/s Rollz Material Handling System Pvt. Ltd. New Delhi	U/execution
12	Bharatpur	Compost+RDF	101.14	Royalty Rs 101/Ton on SLF input	M/s Rollz Material Handling System Pvt. Ltd. New Delhi	U/execution
13	Kota	Waste to Energy	400	Royalty Rs 122/Ton on processing plant input	M/s Associated Stone Industries, Mumbai	Bid approved, letter sent to ULB on 23.08.2016 for execution of agreement
14	Jaipur	Waste to Energy	600	Royalty Rs 66/Ton on processing plant input	M/s JITF Urban Infrastructure Ltd. New Delhi.	Bid approved, letter sent to ULB on 23.08.2016 for execution of agreement
15	Alwar	Compost+RDF	129	Royalty Rs 151/Ton on SLF input	M/s Rollz Material Handling System Pvt. Ltd. New Delhi	Bid approved, letter sent to ULB on 23.08.2016 for execution of agreement
16	Tonk-Newai	Compost+RDF	81.22	Royalty Rs 57/Ton on SLF input	M/s Zonta Infratech Pvt. Ltd. Bangalore	Bid approved, letter sent to ULB on 23.08.2016 for execution of agreement
17	Beawar	Compost+RDF	60.46	Royalty Rs 51/Ton on SLF input	M/s Rollz Material Handling System Pvt. Ltd. New Delhi	Bid approved, letter sent to ULB on 23.08.2016 for execution of agreement
18	Bhilwara	Compost+RDF	143.79	Royalty Rs 401/Ton on SLF input	M/s Rollz Material Handling System Pvt. Ltd. New Delhi	Bid approved, letter sent to ULB on 23.08.2016 for execution of agreement

19	Bundi	Compost+RDF	41.97	Royalty Rs 59/Ton on SLF input	M/s Zonta Infratech Pvt. Ltd. Bangalore	Bid approved, letter sent to ULB on 23.08.2016 for execution of agreement
20	Baran-Anta	Compost+RDF	60.15	Royalty Rs 38/Ton on SLF input	M/s Zonta Infratech Pvt. Ltd. Bangalore	Bid approved, letter sent to ULB on 23.08.2016 for execution of agreement
21	Hanumangarh	Compost+RDF	60.38	Royalty Rs 153/Ton on SLF input	M/s Allied Energy Systems Pvt. Ltd. New Delhi	Bid approved, letter sent to ULB on 23.08.2016 agreement executed
22	Sri Ganganagar	Compost+RDF	95.11	Royalty Rs 230/Ton on SLF input	M/s Allied Energy Systems Pvt. Ltd. New Delhi	Bid approved, letter sent to ULB on 23.08.2016, agreement executed
23	Jodhpur	Waste to Energy	400	Royalty Rs 126/Ton on processing plant input	M/s JITF Urban Infrastructure Ltd. New Delhi.	Project approved ,agreement executed
24	Jhunjhunu+B aggar+Udaipu rwati	Compost+RDF	65	Royalty Rs 101/Ton on SLF input	M/s Allied Energy Systems Pvt. Ltd. New Delhi	Project approved ,agreement to be executed
		Total TPD	3654.25			

Bids under process for Processing & Disposal of Waste:

Bids re- invited for Ajmer-Pushkar. Udaipur on waste to Energy and for 45 clusters 110 ULBs bids re-invited based Compost+RDF will be received on 27.02.2017.

Waste to Wealth (Waste to Energy)

- Bids for waste to energy plant finalized for **Jaipur (600 TPD), and Kota (300 TPD)** and for **Jodhpur (400 TPD)**. Near about 13.5 MW energy will be produced in these plants.
- Power will be purchased by DISCOM @ Rs 7.04 per unit of waste to energy and @ Rs 7.90 per unit in case of energy produced by RDF.
- Subsidy on Compost @Rs 1500/Ton provided by MoFCI

Construction and Demolition waste (C&D) processing and recycling:

- Bid received for Jaipur under evaluation
- Bids re-invited for 28 AMRUT cities for establishment of construction and demolition waste processing & recycling facility will be received on 27.02.2017.

Tentative action plan for implementation of MSW in State of Rajasthan

Phase	Year	Activities
Phase-1	2015-16	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For door to Door collection of Municipal solid waste, Transportation of municipal solid waste and processing of municipal solid waste by using appropriate suitable technology at all 110 ULBs on cluster basis. Clusters are prepared based on economic, feasibility and availability of land at District Headquarter/heritage towns as centre town of the respective cluster. Project will be implemented based on Viability Gap Finding (VGF) for 30 years O&M. ➤ Annual rate contract has been finalized for equipments/machineries for collection & transportation of solid waste and vacuum road sweeping machine. ➤ Door to door collection started in wards by using auto tipper, Auto hopper, Bin lifter at ULB level. ➤ Tender invited for establishment of processing plant and SLF and 20 years O&M on VGF basis under SBM (Urban) for 45 clusters. Tender received for followings cluster and finalized for processing & disposal of waste on compost+RDF basis <ol style="list-style-type: none"> 1. Bikaner 2. Sikar 3. Karauli-Hindonc-city-Gangapur-city 4. Rajsmand-Nathdwara 5. Sheoganj-Sumerpur-Takhatgarh <p>Contractor submitted proposal of EC at RSPCB and started site cleaning work.</p>
Phase-2	2016-17	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bids re-invited for processing & disposal of MSW for remaining AMRUT town and other town on cluster basis. Bids received and finalized for following towns: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pali 2. Bharatpur 3. Alwar 4. Tonk-NewI 5. Beawar 6. Bhilwara 7. Baran-Anta 8. Hanumangarh 9. Sri ganganagar 10. Jhunjhunu-Baggar-Udaipurwati

		<p>and Agreement being executed.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vermy Compost plant established at <ol style="list-style-type: none"> 1. Pratapgarh 2. Dungerpur ➤ Bids invited for 29 AMRUT towns for processing & recycling of Construction & Demolition (C&D) waste. Bid received only for Jaipur. Rates are higher site under negotiation by Municipal Corporation Jaipur.
Phase-3	2017-18	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bids re-invited for 47 clusters (110 towns) for processing & disposal of waste based on compost+RDF (for Ajmer-Pushkar and Udaipur based on waste to energy) these bids will be received on 27.02.2017 ➤ Bids re-invited for 28 AMRUT towns for processing & recycling of C&D waste , will be received on 27.02.2017 ➤ Door to door collection of MSW would be increased in another smaller city having population less than 50000 by using auto tipper, auto hopper and bin lifters. ➤ Direction issued to ULBs for inviting bids for collection & transportation of waste up to processing plant/SLF site.
Phase-4	2018-19	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Door to door collection will be started in remaining towns by Swachh Bharat Mission funds and own resources of ULB , outsourcing and O&M of their owned vehicles. ➤ Processing and disposal of waste planned for remaining small towns on decentralized system (small compost plant)

* Municipal Solid Waste management would be planned in phased manner based on availability of funds with ULBs. However, huge funds are required for MSW.


-// TRUE COPY // -



नगरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले
नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं जीव चिकित्सा अपशिष्ट
के निस्तारण हेतु नीति-पत्र

(Policy for Management of
Solid Waste/Bio-Medical Waste in
Urban Areas of Rajasthan)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग


मुख्य अनियन्ता
निदेशालय स्थानीय निकाय
राज. जयपुर

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था के संबंध में संबंधित नगर निगम/परिषद्/पालिकाओं द्वारा समय समय पर उपयुक्त चिंतन व कार्यवाही की जाती रही है। विगत वर्षों में सफाई के कार्य को एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य मानते हुए इस वाक्य न केवल कई कार्यशालाओं का आयोजन हुआ है अपितु नगर पालिकाओं द्वारा अपने स्तर में कई प्रकार के प्रयास भी किये गये हैं। इन प्रयासों में संसाधनों में वृद्धि किये जाने के साथ साथ बड़े शहरों में कुछ कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं एवं ठेके से भी करवाने के प्रयास किये हैं। सफाई व्यवस्था में नियमित रूप से सफाई होना व जल्दी से जल्दी समय में कूड़ा कचरा उठाकर बाहर फेंका जाना जहां एक महत्वपूर्ण कार्य है, वहीं इस प्रकार के कैंके हुए कचरे का निस्तारण किस प्रकार हो, एक अहम कार्य है। विभाग द्वारा इस संबंध में एक नीति-पत्र तैयार कर मंत्रिमंडलीय ज्ञापन सं. 55(86) एस.ई./डीएलबी/2001 दिनांक 31.8.2001 के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसे मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक 24.9.2000 के द्वारा कुछ संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया है। मंत्रिमण्डल की आज्ञा सं. 89/2001 दिनांक 25.9.2001 के अनुसरण में अब नगरीय क्षेत्र के ठोस अपशिष्ट वाक्य निम्न राज्यस्तरीय नीति-पत्र प्रभावी हो गया है।

इस नीति से निम्न लाभ उपलब्ध हो सकेंगे :

1. कचरे से विद्युत, खाद एवं अन्य उत्पाद बनाने वाले उद्यमियों के लिये सम्पूर्ण राज्य में एक समरूपीय आधार उपलब्ध हो सकेगा।
2. भारत सरकार के संयुक्त सचिव, शहरी विकास विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.1.97 (परि. 1) एवं स्मरण पत्र 11.6.97 के द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए राज्य सरकार को नीतिगत निर्णय हेतु दिये गये परामर्श पर अनुपालना हो सकेगी।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका/वाक्य 888/96 के संदर्भ में भी प्रदान आदेशों की अनुपालना में राज्य की अनुपालना स्पष्ट हो सकेगी।
4. नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रवन्धन और हथालन) नियम, 2000 (Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000) हेतु जारी अधिसूचना में उल्लेखित अनुसूची-1 के अनुसार निम्न कार्यवाही हेतु स्पष्ट मार्गदर्शन उपलब्ध हो सकेगा :

क्रमांक	अनुपालन के मानदण्ड	अनुसूची
1.	अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधाएं स्थापित करना	31.12.2003 तक अथवा उससे पूर्व
2.	मौजूदा भूमि भरण स्थलों का सुधार	31.12.2001 तक अथवा उससे पूर्व
3.	भावी प्रयोग के लिए भूमि भरण स्थलों की पहचान करना तथा प्रचालन के लिए स्थल (स्थलों) को तैयार करना	31.12.2002 तक अथवा उससे पूर्व

5. जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रवन्धन व हथालन) नियम, 2000 (Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000) हेतु जारी अधिसूचना (मूल संशोधित)

में निम्नानुसार उद्धेखित अनुसूची 6 के अनुसार भस्मक/ऑटोक्लेव/सूक्ष्म तरंग प्रणाली जैसी अपशिष्ट प्रबंध सुविधा हेतु राह उपलब्ध हो सकेगी :


क.	30 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अस्पताल और नर्सिंग होम	30 जून, 2000 तक या उससे पहले
ख.	30 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में अस्पताल और नर्सिंग होम :	
	(क) 500 और उससे अधिक विस्तर वाले या उससे पहले	30 जून, 2000 तक
	(ख) 200 और उससे अधिक किन्तु 500 से कम विस्तर वाले	31 दिसम्बर, 2000 तक या उससे पहले
	(ग) 50 तथा उससे अधिक किन्तु 200 से कम विस्तर वाले	31 दिसम्बर, 2001 तक या उससे पहले
	(घ) 50 से कम विस्तर वाले तक या उससे पहले	31 दिसम्बर, 2002 तक या उससे पहले
ग.	ऊपर "क" और "ख" में सम्मिलित न किए गए जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली अन्य सभी संस्थाएं	31 दिसम्बर, 2002 तक या उससे पहले

2.0 नीति-पत्र के प्रमुख बिन्दु -

कचरे से विद्युत, खाद एवं अन्य उत्पादन हेतु उद्यमियों का चयन उपयुक्त टेक्नोलोजी, सरकार/स्थानीय संस्था द्वारा उत्पन्न कराई जाने वाली सुविधाएँ, प्राइवेट पार्टीज का दायित्व, कचरे के प्रतिफल में स्थानीय संस्था को देय राशि व प्रक्रिया निर्धारण निम्नानुसार होगा :

2.1 उद्यमियों का चयन -

- (i) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसार निगम या राज्य के अन्य किसी विभाग द्वारा यदि किसी उद्यमी से पावर परचेज एग्रीमेंट या खाद परचेज एग्रीमेंट किया जाता है तो ऐसे उद्यमी को उनकी सक्षमता के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी।
- (ii) संदर्भित नीति-पत्र के प्रभावी होते ही उपयुक्त उद्यमियों की जानकारी हेतु समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जायेगी एवं निर्धारित समय तक आवेदन करने वाले उद्यमियों के प्रकरण राज्य/जिलास्तरीय कमेटी को प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (iii) क्र.सं. (ii) पर निर्धारित अवधि के बाद भी यदि भविष्य में कोई प्रतिष्ठान द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम या राज्य के अन्य किसी विभाग से पावर परचेज एग्रीमेंट या खाद वादत एग्रीमेंट किया जाता है, वे भी आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त होने वाले आवेदनों पर राज्य/जिलास्तरीय कमेटी द्वारा उपयुक्त निर्णय किया जा सकेगा।



मुख्य अभियन्ता
निर्देशालय स्थानीय निकष
जयपुर



- (iv) प्रस्तावित नीति के अनुमोदन होने पर प्रथम श्रेणी के शहरों हेतु निविदा आमंत्रण कर उपयुक्त उद्यमियों का चयन किया जायेगा। सामान्यतया एक उद्यमी को एक शहर हेतु चयनित किया जायेगा, परन्तु यदि किसी उद्यमी की सक्षमता के आधार पर एक उद्यमी एक से अधिक शहरों के कार्य करने का इच्छुक हुआ तो इसका निर्धारण एम्पावर समिति द्वारा किया जा सकेगा एवं इस समिति की अभिशंखा उपरान्त नगरीय विकास मंत्री के अनुमोदन पश्चात् तय किया जा सकेगा।
- (v) उद्यमियों का चयन तकनीकी एवं वित्तीय क्षमता को देखते हुए किया जायेगा। जिन उद्यमियों की तकनीकी योग्यता उपयुक्त पाई जाती है, उनके वित्तीय प्रस्ताव रखे जायेंगे। राज्यस्तरीय समिति तकनीकी क्षमता हेतु उचित पैरामीटर तय कर सकेगी।

2.2 टेक्नोलॉजी -

कचरे से बिजली बनाना या खाद बनाना या अन्य क्या उपयोग हो सकेगा, का निर्धारण उस शहर की स्थिति, कचरे की मात्रा आदि को देखते हुए सामान्यतया उद्यमी द्वारा किया जायेगा। उद्यमी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विभाग द्वारा आरम्भिक परीक्षण बाद मामला इस कार्य हेतु गठित एम्पावर कमेटी को प्रस्तुत किया जावेगा।

2.3 राज्यस्तरीय एम्पावर कमेटी एवं निर्णय -

कचरे से खाद व बिजली पैदा करने से जुड़े मामलों में नए आवेदन करने वाले उद्यमियों के चयन, उनके द्वारा प्रस्तुत टेक्नोलॉजी पर निर्णय, कार्यक्रम से जुड़ी अन्य आवश्यकता, स्थानीय संस्था व उद्यमी के बीच होने वाले अनुबंध का अनुमोदन एवं अन्य कार्यवाहियों हेतु एक एम्पावर समिति होगी। यह समिति राज्यस्तरीय समिति होने से सब प्रकार के मामलों में अभिशंखा कर सकेगी। इस समिति की अभिशंखा पर नगरीय विकास मंत्री की अनुमति मिलने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

1. शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग	अध्यक्ष
2. ऊर्जा सचिव या उनके प्रतिनिधि जो उप सचिव स्तर से कम न हो	सदस्य
3. निदेशक, रेडा	सदस्य
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, संबंधित नगर निगम/परिषद/पालिका	सदस्य
5. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त	सदस्य
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य सचिव
7. मुख्य लेखाधिकारी, स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य

2.4 जिलास्तरीय समिति -


भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रवन्धन और हथालन) नियम, 1999 हेतु जारी अधिसूचना 25.9.2000 में महानगरों को छोड़कर अन्य शहरों हेतु संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को उत्तरदायित्व दिया गया है। अतः जयपुर, जोधपुर व कोटा को छोड़ते हुए अन्य सभी शहरों हेतु संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में मित्र कमेटी गठित की जानी प्रस्तावित है जो उद्यमियों का चयन करेगी तथा राज्यस्तरीय समिति के निर्देशन में अन्य पहलुओं पर भी निर्णय लेगी।

1. जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
--------------------	---------

- 200
926
2. अध्यक्ष, संबंधित नगर परिषद् सदस्य
 3. सचिव, नगर विकास न्यास (यदि न्यास हो तो) सदस्य
 4. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, संबंधित नगर परिषद्/पालिका राज्य सचिव
 5. वित्तीय सलाहकार (जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिस्ट में कार्यरत राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों में से मनोनीत किया जावे) सदस्य
 6. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो गैर सरकारी सदस्य/विषय विशेषज्ञ सदस्य

2.5 उद्यमियों को दी जाने वाली सुविधाएँ -

1. कचरे से विद्युत, खाद व अन्य उत्पाद हेतु न्यूनतम आवश्यक अविकसित भूमि (जो भी उपलब्ध होगी) 1 (एक) रु. प्रति वर्ग मी. की दर पर 30 वर्ष की लीज पर आवंटित की जायेगी। लीज राशि भी 1 रु. प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष के हिसाब से प्रति वित्तीय वर्ष अग्रिम में देय होगी। भूमि अवाप्ति हेतु यदि कोई राशि व्यव करनी पड़ेगी तो यह राशि स्थानीय संस्था द्वारा वहन की जायेगी।
2. वर्तमान में इकट्ठे किये जा रहे कचरे को निःशुल्क दिया जायेगा एवं स्थानीय संस्था द्वारा प्लांट साइट तक पहुंचाया जायेगा। निर्धारित की गई मात्रा को नियमित रूप से पहुंचाना, स्थानीय संस्थाओं का दायित्व होगा, परन्तु आपसी वार्ता से एक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन तक का अवकाश रखा जा सकेगा।
3. इस कचरे के अलावा हॉस्पिटल से निकलने वाला बायोमैडिकल वेस्ट/इंडस्ट्रियल वेस्ट भी उद्यमी को उसकी इच्छानुसार दिया जा सकेगा, जिसका उपयोग करने हेतु वह पूर्ण स्वतंत्र होगा, परन्तु उद्यमियों से अपेक्षा शीर्षक में अंकित बिन्दु सं. 2.6 (पअ) के अनुसार पालना आवश्यक होगी।
4. कचरे से तैयार उत्पाद को विक्रय करने पर कोई रौल टैक्स देय नहीं होगा परन्तु यदि वर्तमान रौल टैक्स नीति में परिवर्तन आता है तो उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
5. निर्मित होने वाले संयंत्र पर किसी प्रकार का कोई भूमि/भवन कर नहीं लिया जायेगा।
6. कचरे से बिजली के अलावा खाद या यदि कोई अन्य वाई-प्रोडक्ट पैदा/तैयार होता है तो यह उद्यमी की सम्पत्ति होगी, जिसे अपनी इच्छानुसार विक्रय कर सकेगा।
7. स्थानीय संस्था व राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का आर्थिक भार वहन किये बिना भारत सरकार द्वारा देय प्रोत्साहित राशि या जो कोई भी अन्य सुविधाएं देय होंगी, उसे उद्यमी प्राप्त कर सकेगा।
8. स्थानीय संस्था द्वारा अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।
9. बिना वित्तीय भार के अन्य सुविधाएं स्थानीय संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जायेंगी।
10. राज्य के उद्योग विभाग द्वारा अन्य किसी उद्योग हेतु दी जाने वाली सुविधाएं इन पर भी प्रभावी होंगी।
11. विद्युत उत्पन्न होने वाले मामलों में ऊर्जा विभाग द्वारा जारी नीति-पत्र के संदर्भ में निम्न विशेष प्रावधान होंगे :
 1. ऊर्जा विभाग के नीति-पत्र दिनांक 11.3.99 में मिनीमम डिमाण्ड में 30 प्रतिशत घटत का प्रावधान है, परन्तु विन्ट पॉलिसी में मिनिमम डिमाण्ड चार्जेज में छूट उपलब्ध है। अतः कचरे से बिजली उत्पन्न होने वाली परियोजना की लागत व शुद्धात करने की दृष्टि से कचरे से बिजली वाले मामले में मिनीमम डिमाण्ड चार्जेज के रूप में कोई अनिवार्यता/वाध्यता नहीं होगी, अर्थात् मिनीमम डिमाण्ड चार्जेज के बारे में पूर्ण छूट होगी।


 मुख्य अभियंता 5
 निदेशालय स्थानीय विक्रय
 राज. जयपुर

2. उत्पन्न ऊर्जा पर कोई विद्युत कर नहीं लगेगा।
3. ऊर्जा विभाग द्वारा जारी नीति-पत्र में यदि कोई अन्य सुविधाएँ प्रदत्त होती हैं तो ये सब स्वतः ही प्रभावी होंगी।

2.6 उद्यमियों से अपेक्षा -

1. आवंटित भू-खण्ड पर सड़क, पानी आदि की व्यवस्था स्वयं उद्यमी द्वारा अपने खर्च पर करनी होगी।
2. स्थानीय संस्था द्वारा कचरे को प्लांट साइट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी, परंतु उपयोग हेतु व्यवस्था स्वयं उद्यमी द्वारा करनी होगी।
3. सामान्यतया स्थानीय संस्था द्वारा मिट्टी, मलबा, दिग्दिग्ग मेटेरियल कचरे में नहीं भेजा जायेगा, परन्तु यदि कुछ मात्रा जाती है तो इसे कचरे का भाग मानकर स्वयं उद्यमी द्वारा पृथक कराया जायेगा या काम में लिया जायेगा।
4. उद्यमी द्वारा यदि वायोमेट्रिकल वेस्ट व अन्य हार्ड वेस्ट भी लिया जाता है तो इसे पृथक-पृथक रूप से इकट्ठा करना, परिवहन करना व इनका निस्तारण भी निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार करना अनिवार्य होगा।
5. प्लांट संचालक के दौरान आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण, तैयार लों का पालन करना उद्यमी का दायित्व होगा।
6. भूमि आवंटन के एक वर्ष में कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक होगा तथा तीन वर्ष के अन्दर संयंत्र को चालू करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर भू-खण्ड का आवंटन स्वतः ही रद्द माना जायेगा।
7. विभिन्न कानून/नियमों के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण हेतु जो कोई प्रावधान किए हुए हैं व भविष्य में होंगे, की पालना उद्यमी द्वारा की जानी होगी। इसके लिए वृक्षारोपण व अन्य उपयुक्त उपाय उद्यमी के द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।
8. कचरे से विद्युत उत्पन्न वाले मामलों में ऊर्जा विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना व चाही जाने वाली राशि देना अनिवार्य होगा।
9. आवंटित भूमि वित्तीय प्रबन्धन या अन्य किसी भी आवश्यकता/स्थिति में ना तो मोर्टगेज की जा सकेगी व ना ही विक्रय की जा सकेगी।

2.7 स्थानीय संस्था को देय राशि-

प्रतिफल के रूप में स्थानीय संस्था को देय वार्षिक राशि का प्रस्ताव उद्यमी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा जिस पर निर्णय क्रम संख्या 2, 3 पर उल्लेखित एम्पावर समिति द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त राशि को मुख्य रूप से कचरा एकत्रित व परिवहन व्यवस्था को सुधारने में किया जायेगा।

2.8 आवश्यक प्रतिभूति राशि-

निविदा आमंत्रण के दौरान प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली राशि का ब्यौरा निविदा प्रपत्र में उल्लेखित होगा।

चिह्नका प्रमुख विवरण निम्न प्रकार है :

सं.	समय		की किस्म	वजला उत्पादन वाले मामलों में	खाट व अन्य मामले में
1.	निविदा प्रपत्र के साथ	उपयुक्त उद्यमियों के चयन हेतु	डिमण्ड ड्रप्ट	5.00 लाख	2.00 लाख
2.	अनुबन्ध हस्ताक्षर करने से पूर्व	परियोजना क्रियान्विति समयावधि हेतु तथा परियोजना आरंभ होने के एक वर्ष तक	बैंक की गारंटी	1. संभागीय मुख्यालय वाले 6 शहरों में	
				50.00 लाख प्रति शहर	20.00 लाख प्रति शहर
				2. संभागीय मुख्यालय के अलावा अन्य शहरों में	
				20.00 लाख प्रति शहर	8.00 लाख प्रति शहर
3.	परियोजना आरंभ होने से एक वर्ष में			रोलिंग बैंक गारंटी, वार्षिक देय राशि के समकक्ष	

नोट : उपरोक्त राशि निर्धारित कार्य को निर्धारित समय में करने हेतु रखी गई है, जिसमें असफल होने पर यह राशि जब्त की जा सकेगी।

2.9 विवाद -

स्थानीय निकाय व उद्यमी के बीच यदि प्रस्तावित अनुबन्ध एवं कार्यक्रम बाबत कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा क्र.सं. 2.3 पर गठित एम्पावर समिति द्वारा किया जावेगा एवं यह फैसला अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

3.0 क्रियान्वयन -

उपरोक्त नीति-पत्र के जारी होते ही एक सार्वजनिक सूचना इस नीति के सारांश विवरण के साथ राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित की जायेगी जिसमें इच्छुक व्यक्तियों से प्रस्ताव चाहे जावेगे। यदि किसी उद्यमी द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम से पावर पर्चेज अनुबन्ध किया हुआ है या कालान्तर में होता है तो ऐसे उद्यमियों को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा एवं इनके बारे में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अन्य कार्यवाही करते हुए एम्पावर समिति की अभिरक्षा होने पर स्वायत्त शासन मंत्री की अनुमति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त कार्यवाही/निर्णय चरणवद्ध समय में सभी स्थानीय संस्थाओं हेतु प्रभावी होगी, परन्तु प्रथम चरण में प्रथम श्रेणी के शहरों पर इसे कठोरता से प्रभावी किया जायेगा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रथम श्रेणी के निम्न शहर सम्मिलित होंगे- (1) जयपुर, (2) जोधपुर, (3) कोटा, (4) अजमेर, (5) बीकानेर, (6) उदयपुर (7) भीलवाड़ा, (8) अलवर, (9) श्रीगंगानगर, (10) भरतपुर, (11) पाली, (12) सीकर (13) टोंक, (14) ब्यावर, (15) चूरू, (16) हनुमानगढ़, (17) झुंझुनू, (18) सवाई माधोपुर, (19) किशनगढ़, (20) गंगापूर सिटी।

मुख्य अभियन्ता
निदेशालय स्थानीय निकाय
राज. जयपुर

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

क्रमांक: F.SSC) EE/डीएलबी/15/ 6625

दिनांक: 11-03-2015

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 33A उप धारा (4) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर निगम/परिषद/पालिका क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व हथालन कार्य को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ, राजस्थान में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25 सितम्बर 2000 द्वारा जारी किये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन) नियम, 2000, को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नगरीय निकाय के ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन व हथालन) उपविधियाँ बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ :-

- (i) ये उपविधियाँ नगरीय निकाय के ठोस (अपशिष्ट प्रबंधन व हथालन) उपविधियाँ -- 2015 कहलायेगी।
- (ii) ये उपविधियाँ राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशन की तिथि के 30 दिवस पश्चात् से प्रवृत्त होगी।

2. लागू होना :- ये उपविधियाँ राज्य की समस्त नगर निगम/परिषद/पालिका के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में समान रूप से प्रभावशील होगी।

3. परिभाषाएँ :-

- (i) "बातनिरपेक्ष पाचन" (Anaerobic digestion) से ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें आक्सीजन के अभाव में कार्बनिक पदार्थ का बाइयोबायोल वियाजन अंतर्वलित है।
- (ii) "प्राधिकार" से "सुविधा के प्रचालक" को बोर्ड या समिति द्वारा दी गई सहमति अभिप्रेत है।
- (iii) "जैव निम्नकरणीय पदार्थ" से वह पदार्थ अभिप्रेत है जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है।
- (iv) "जैविक, मीथेनीकरण" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो मिथेन समृद्ध जैविक गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का एन्जाईमी विघटन करती है।
- (v) "संग्रहण" से संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्टों को उठाना और हटाया जाना अभिप्रेत है।
- (vi) "कचरा खाद बनाने" से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्मजैविक निम्नकरण अंतर्वलित है।

- (viii) "व्ययन" से भूजल सतह जल तथा परिवेशी वायु प्रदूषण को सदूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अंतिम रूप से वापस अभिप्रेत है।
- (ix) "प्ररूप" से इन नियमों से सम्बन्धित प्ररूप अभिप्रेत है।
- (x) "अपशिष्टों के उत्पादक" से नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है।
- (xi) "भूमिवरण" से भूजल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाले धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू आग के खतरे, पक्षियों का शिकार, नशीबी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, दाह अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजायन की गई सुविधा में अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट का भूमि पर निपटान अभिप्रेत है।
- (xii) "निष्कालितक" से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिससे इसमें से घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्षण किया है।
- (xiii) "लाईसोमीटर" से ऐसी युक्ति अभिप्रेत है जिसका प्रयोग मृदा परत के माध्यम से या उसमें से जल की गति मापने के लिए किया जाता है या जिसका प्रयोग गुणवत्ता विश्लेषक के लिए अन्तःस्त्राव जल के एकत्रण के लिए किया जाता है।
- (xiv) "नगर पालिका प्राधिकारी" से नगरीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।
- (xv) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करके हुए ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।
- (xvi) "प्रसुविधों के प्रचालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, प्रथमकरण, भण्डारण, परिवहन प्रसंस्करण और निपटान की प्रसुविधा का स्वामी या प्रचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य अभिकरण भी आता है जो अपने-अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्ध और हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है।
- (xvii) "गुटिकाकरण" से कोई ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे गुटिकाएं तैयार की जाती हैं जो ठोस अपशिष्टों से तैयार की गई लघु क्यूब या बेलनाकार टुकड़ों में होंगी और इसके अन्तर्गत ईंधन गुटिकाएं भी आती हैं जिसे कचरे से प्राप्त ईंधन के रूप में भी निर्दिष्ट किया गया है।

नियमों और
कानूनों से

ग से बचाने
के व्यय

रने वाले

वाली
बतरा,
व के
टोस

से

(xviii) "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

(xix) "पृथक्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नए उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को कचरा खाद में परिवर्तन करता है, जो कि अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

(xx) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

(xxi) "पृथक्करण" से नगरीय टोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों में अलग-थलग करना अभिप्रेत है।

(xxii) "राज्य बोर्ड या समिति" से यथास्थिति, किसी राज्य का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति अभिप्रेत है।

(xxiii) "भण्डारण" से नगरीय टोस अपशिष्टों की अस्थायी रूप से इस प्रकार डिब्बा बन्द किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा-करकट बिखरने, रोगवाहकों के आकर्षित करने, आवासीय पशुओं तथा अत्यधिक दुर्गन्ध को रोका जा सकें।

(xxiv) "परिवहन" से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय टोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा-करकट बिखरने, रोगवाहकों की पहुंच को रोका जा सकें।

(xxv) "अधिभूमि जल" से वह जल अभिप्रेत है, जो भू सतह तथा भूमि जल स्तर के मध्य अर्थात् असतृप्त क्षेत्र में होता है।

(xxvi) "कृषि कचरा खाद बनाना" जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने के लिए केंचुओं को उपयोग में लाने की प्रक्रिया है।

(4) नगरीय टोस अपशिष्टों का पृथक्करण :-

(i) समस्त निवासियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने स्थानों से उत्पन्न नगरीय टोस अपशिष्टों के उदगम स्थल पर ही पृथक्-पृथक् सूखा व गीला कचरा उपर्युक्त ढक्कननुमा कचरा पात्र में भण्डारित करना होगा व दिन में एक बार ही निर्धारित समय पर उनको डोर टू डोर संग्रहण की उपलब्ध करवाई गई सेवा को मासिक शुल्क देकर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा ताकि आम सड़कों, मार्गों पर निगम द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात् किसी प्रकार की गन्दगी कूड़ा-करकट नहीं फैले अन्यथा एन्टी लिटरिंग केरीयंग चार्जज मौके केरिंग चार्ज वसूल किया जा सकेगा। पुनरावृत्ति पर न्यायालय में नियमानुसार अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(ii) नगरीय निकाय द्वारा समय-समय पर नागरिकों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु नगर निगम स्थानीय सेनिटेशन वेलफेयर, ऐसासियेशन, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, नगरीय निकाय से अनुबंधित सफाई के संविदाकारों तथा नागरिकगणों को समझाने एवं कचरा पृथक्करण कर भण्डारित करने व विधिवत परिवहन कराने के लिए प्रोत्साहित करने को अधिकृत होगा।

932
अपशिष्टों के भण्डारण सुविधाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण ऐसी रीति से किया जाएगा जिससे कि इसके आस-पास अस्वास्थ्यकर/अस्वच्छकारी परिस्थितियां पैदा न हों। भण्डारण सुविधाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करते समय निम्नलिखित मानदण्डों को ध्यान में रखा जायेगा :-

- (i) निर्दिष्ट क्षेत्र में अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा और जनसंख्या के घनत्व को ध्यान में रखते हुए भण्डारण सुविधाओं का सृजन और स्थापना की जायेगी परन्तु वे भण्डारण सुविधाओं में न्यूनतम दूरी 500 मीटर की होगी और 01 किलोमीटर की परिधि में अधिकतम 05 से ज्यादा भण्डारण की सुविधा नहीं होगी। भण्डारण सुविधा मोबाईल क्विकन द्वारा कन्टेनर के रूप में ऐसे स्थान पर ही होगी जहां प्रयोक्त पहुंच सकें।
- (ii) नगर निगम /परिषद् /पालिका द्वारा अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली भण्डारण सुविधा का डिजाइन ऐसा होगा जिससे कि इकट्ठा किया गया कूड़ा करकट वातावरण में खुले रूप में न हो सौन्दर्यपरक रूप से प्रयोक्ता को स्वोकार्य हो एवं उसे कूड़ादान के भीतर ही अपना कचरा खाली करने के लिए प्रेरित करें।
- (iii) नगर निगम /परिषद् /पालिका द्वारा निर्धारित कूड़ादान स्थलों पर पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नानुसार रंग के पृथक-पृथक कन्टेनर भी रखवाये जा सकते हैं -
 - (ए) हरा - जैव निम्नीकरण अपशिष्टों हेतु।
 - (बी) सफेद - पुनः चक्रणयोग्य अपशिष्टों हेतु।
 - (सी) काला/पीला/नीला - अन्य साधारण अपशिष्टों हेतु।इन कन्टेनरों से कूड़े/अपशिष्टों के हथलन निकाले जाने और परिवहन के लिए सुगम प्रचालन डिजाइन के केशीयर वाहन, काम्पेक्टर उपयोग में लिये जायेंगे।
- (iv) शहर में स्थित सभी कॉर्पोरेटिव सोसाईटिज, एसोसियेशन, आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धन की यह जिम्मेदारी होगी कि वे आवश्यक घनत्व के उपयुक्त स्थानों पर आवश्यक संख्या में अपने स्वयं के कन्टेनरस जिसकी डिजाइन नगरीय निकाय से अनुमोदित हो, अपने परिसर में स्थापित करें ताकि वहां उत्सर्जित दैनिक कचरे का भली-भांति भण्डारण हो सकें। जिन्हें नगरीय निकाय के वाहनों से समयबद्ध खाली करवाने हेतु वे नगरीय निकाय को देय यूजर चार्ज पर अनुबन्ध कर वाहनों की व्यवस्था करवा सकेंगे।
- (v) समस्त नागरिकों का दायित्व होगा कि वे अपने परिसर में उत्पन्न पुनः चक्रित अपशिष्टों को क्षेत्र में कार्यशील कचरा बीनने वाले (रिगपीकर्स) नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत व्यक्ति या कबाडी को विक्रय कर दे व किसी भी स्थिति में आम सड़क पर अथवा निगम के कूड़ादान/कन्टेनर में नहीं डालें।

पर पर
से ठोस
रीति से
लियां पैदा
ते समय

ध्यान
रन्तु दो
मीटर
हागी।
र ही

तारा
से
हो
ही

(vi) कार्यवाही राज्य की नगर निगम / परिषद् / अथवा अन्य व्यवस्था (बीओटी/बीजीएफ/स्वच्छ भारत मिशन के निर्देशों के आधार पर) जायेगी और इस व्यवस्था का सभी संस्थानों को नगरीय निकायों से अनुमोदित यूजर चार्ज देकर अपनाना होगा अन्यथा ऐसे ठोस अपशिष्ट फैलाने वालों से केरियंग चार्ज मौके पर तदनुसार वसूल किया जा सकेगा अथवा अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(vii) बूचडखानों, मांस-मछली बाजारों, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट जो जैव निम्नकरणीय प्रकृति का होता है। प्रबंध इस प्रकार किया जायेगा ताकि ऐसे अपशिष्टों को उपयोग में लाया जा सके और इनमें कोई संक्रामक बीमारियां नहीं फैले। इसको सुनिश्चित करने के लिए ऐसे व्यवसायियों को स्वतः अपने प्रबन्धन कर इनका नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करना होगा अथवा नगरीय निकायों द्वारा डोर टू डोर ऐसे अपशिष्टों के संग्रहण, परिवहन व निस्तारण हेतु लागू योजना को अपनाकर इसकी पालना सुनिश्चित करनी होगी अन्यथा अपशिष्ट फैलाने पर केरियंग को अपनाकर इसकी पालना सुनिश्चित करनी होगी अन्यथा अपशिष्ट फैलाने पर केरियंग चार्ज मौके पर वसूल किये जा सकेंगे अथवा न्यायलय में अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(viii) जैव चिकित्सीय, अपशिष्टों तथा औद्योगिक अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों के साथ नहीं मिलाया जायेगा और ऐसे अपशिष्टों का संग्रहण एवं प्रयोजन के लिए पृथक रूप से विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया जावेगा। जैव चिकित्सीय अपशिष्टों के नियमानुसार निस्तारण हेतु विभिन्न निकायों में कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सुविधा (CBWTF) लागू की गई है/की जा रही है। उपलब्ध करवाई गई कॉमन बायोमेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी (CBWTF) संयंत्र से देय निर्धारित शुल्क पर ऐसे हानिकारक अपशिष्टों का निस्तारण सुनिश्चित करना होगा।

(ix) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित अपशिष्ट को ट्राई साईकिल रिक्शे अथवा ऑटो टिपर गाड़ियों से निर्धारित सामुदायिक कूड़ाघर/ढके हुए कन्टेनरों में प्रसंस्करण प्लांट पर डलवाया जायेगा।

(x) बागवानी और निर्माण/ढहाए गये कार्यों से उद्भूत अपशिष्टों/मलबे को अलग-अलग संग्रहित किया जायेगा एवं समुचित मानकों के अनुसार इनका व्ययन किया जायेगा। नगरीय निकाय द्वारा इस हेतु सप्ताह में एक दिवस निर्धारित कर अपेक्षा की जायेगी कि बागवानी से अपशिष्टों को नगरीय निकाय के निर्धारित नजदीक के कूड़ाघर पर नग्यान्ह तक आवश्यक रूप से डलवा दिया जाये ताकि उनका समय पर परिवहन सम्भव हो सकें। निजी निर्माण/ढहाये गये मकानों के शेष अपशिष्ट अपने स्वयं के प्रबन्धन पर अथवा नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत सविदाकार को देय निर्धारित शुल्क पर परिवहन करवाकर निर्धारित चिन्हित गंतव्य स्थल तक पहुंचाना होगा। खुले स्थलों,

मार्गों, सार्वजनिक स्थलों पर अनाधिकृत रूप से डालना ऐसा निजी माल डालना/रखना अधिनियम व नियमों के तहत दण्डनीय होगा।

- (xi) अपशिष्ट (कूड़ा करकट, सूखी पत्तियों) को जलाया नहीं जायेगा।
- (xii) आवासीय पशुओं को अपशिष्ट कूड़ादान स्थलों अथवा शहर में किसी अन्य स्थान के आसपास मूकरूप में घूमने नहीं दिया जाएगा तथा उनका आसपास क्षेत्र/स्थल पर ही प्रबन्ध करना होगा।
- (xiii) कोई भी व्यक्ति अपने भवन, संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान से गन्दा पानी, कीचड़ पानी नाईट सोईल गोबर, मलमूल, दूषित जल अपने परिसर में किसी प्रकार न तो एकत्रित रखेगा न सार्वजनिक भागों पर बहने देगा जिससे वातावरण दुर्गन्ध से प्रदूषित हो व जन स्वास्थ्य को हानि होने की सम्भावना रहे अथवा आवागमन में बाधक हो अन्यथा उसके विरुद्ध तत्काल कैंरिंग चार्ज वसूल किया जा सकेगा एवं न्यायालय में अभियोजन किया जा सकेगा।
- (xiv) कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मृत मवेशी अथवा उसके अवशेष सार्वजनिक पार्को इत्यादि में एकत्रित कर किसी प्रकार का प्रदूषण गन्धगी नहीं फैलावे हुए पाया जाता है तो दण्डनीय उपराध होगा और उससे कैंरिंग चार्ज वसूल जायेगा।

(6). नगरीय निकायो का दायित्व -

- (i) नगरीय प्रशासन द्वारा नगर निगम /परिषद् /पालिका सीमा में स्थित सार्वजनिक मार्गों, स्थलों, कच्ची बस्तियों, झुग्गी झोपड़ी, क्षेत्रों, बाजारों, पार्को स्थलों के आसपास नगरीय निकाय के स्वयं के उद्यानों, शमशान इत्यादि में प्रतिदिन व सम्पूर्ण वर्षभर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं यहाँ से एकत्रित किया गया कचरा कूड़ा, नजदीक के घोषित कूड़ादान/कन्टेनर में एकत्रित करवाया जाकर वहाँ से प्रतिदिन उसका परिवहन अन्तिम निस्तारण स्थल तक बंद वाहनों में करवाने के लिए प्रतिबद्ध होगी जिसके लिए नगरीय निकाय अपने स्वयं के स्थाई सफाई कर्मचारियों एवं वाहनों के लिए अन्य सफाई कर्मचारी रहित कॉलोणियों, क्षेत्रों में नेजी संविदाकार से सम्पूर्ण अथवा आंशिक दैनिक सफाई कार्य करवाने के लिए अधिकृत होगी ताकि प्रत्येक क्षेत्र में नगरीय निकाय द्वारा जन स्वास्थ्य के हित में स्वच्छता व सुन्दरता सुनिश्चित करने में समर्थ हो सके।
- (ii) शहर की दैनिक सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था के प्रबन्धन हेतु नगरीय निकाय अपने शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड कार्यालय (शिकायत केन्द्र) आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थानों पर कूड़ादान/कन्टेनर सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय) सामुदायिक कूड़ादान कचरे को ट्रांसफर स्टेशन शहर के कूड़े के अन्तिम निष्कासन हेतु कचरानाह/केण्डफील) प्रोसेसिंग यूनिट इत्यादि स्थापित करने को स्वतंत्र होगा।

नगरीय निकाय के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को नियंत्रण एवं ठोस अपशिष्ट संग्रहण निर्धारित प्रावधानों के तहत किया जायेगा जिसे सम्बन्धित अपशिष्ट निर्माता द्वारा अपनाया जायेगा।

(7) नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण - नगरीय निकाय क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्टों या कूड़ा करकट फैलाना प्रतिषेध होगा। यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, मार्गों, निजी खुले स्थलों, पार्को, पानी के स्रोतों इत्यादि पर गन्धरा कूड़ा-करकट फैलाते व सहे पाया गया तो नगरीय निकाय के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो निरीक्षक के स्तर से कम का नहीं हो, संलग्न "अनुसूची-अ" में घोषित/समय-समय पर नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित करिंग चार्ज ऐसे क्षेत्रों के व्यक्तियों से मौके पर ही वसूल करने का सक्षम होगा। नगरीय निकाय द्वारा इस हेतु :-

- (i) नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 की पालना में घर-घर से कचरा एकत्रित करने के लिये "स्वच्छता मित्र आपके द्वार" योजना निगम/परिषद/पालिका के सभी क्षेत्रों/एरिया/वार्डों में लागू की जावेगी।
- (ii) घर-घर से कचरा संग्रहण हेतु क्षेत्र में निश्चित समय का निर्धारण अनिवार्य रूप से किया जावेगा। सामान्यतः समय प्रातः 7.00 से 11.00 बजे तक निर्धारित किया जावेगा। किन्तु विशेष सफाई के प्रयोजनार्थ स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित समय की पालना सुनिश्चित की जावे। प्रत्येक कचरा संग्रहण कार्यकर्ता की ट्राई साईकिल पर घंटी/भोंपू (जिसकी आवाज अनुज्ञेय मानदण्ड से अधिक ना हो) भी लगाया जावे ताकि कचरा संग्रहण के समय इसे बजाकर निवासियों को सूचित किया जा सके।
- (iii) व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों/दुकानों से कचरा संग्रहण हेतु सामान्यतः समय प्रातः 9.00 से 12.00 बजे तक रखा जावेगा।
- (iv) घर-घर कचरा संग्रहण योजना के तहत घर-घर से कचरा एकत्रित करने हेतु निम्नानुसार दरे तय की जाती है:-

क्र. सं.	उपभोक्ता की श्रेणी	सहयोग राशि (उपभोक्ता द्वारा) प्रतिमाह		
		नगर निगम क्षेत्र/प्रतिमाह	नगर परिषद क्षेत्र/प्रतिमाह	नगरपालिका क्षेत्र/प्रतिमाह
1.	50 वर्गमीटर क्षेत्र तक के मकान	20/- रुपये	15/-रुपये	10/-रुपये
2.	50 व.मी. से अधिक व 300 क्षेत्र. व.मी. तक के मकान	80/- रुपये	50/-रुपये	40/-रुपये
3.	300 व.मी. से अधिक क्षेत्र के मकान	150/- रुपये	100/-रुपये	50/-रुपये
4.	व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, खानपान के स्थान (ढाबा/मिठाई की दुकान/ कॉफी हाउस इत्यादि)	250/-रुपये	200/-रुपये	150/-रुपये
5.	गेस्ट. हाउस,	750/-रुपये	500/-रुपये	250/-रुपये

अन्य स्थानों में इस भावना का अतिक्रमण

7.	होटल रेस्टोरेन्ट (Unstar)	750/-रूपये	500/- रूपये	300/- रूपये
8.	होटल रेस्टोरेन्ट (3 star तक)	1500/-रूपये	1000/- रूपये	800/- रूपये
9.	होटल रेस्टोरेन्ट (3 star से अधिक)	3000/-रूपये	2000/- रूपये	1500/ रूपये
10.	व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीना कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि	700/- रूपये	300/- रूपये	250/ रूपये
11.	क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरीज (50 बेड तक)	2000/- रूपये	1500/- रूपये	1000/ रूपये
12.	क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरीज (50 बेड से अधिक)	4000/- रूपये	3000/- रूपये	2500/ रूपये
13.	लघु व कुटीर उद्योग वर्कशॉप (केवल गैर खतरनाक) अवशिष्ट 10 कि.ग्रा. प्रतिदिन	750/- रूपये	500/- रूपये	400/ रूपये
14.	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर खतरनाक) अवशिष्ट	1500/- रूपये	1000/- रूपये	800/ रूपये
15.	शादी हॉल, उत्सव हॉल प्रदर्शनी एवं मेला 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक	2000/- रूपये	1500/- रूपये	1000/- रूपये
16.	शादी हॉल, उत्सव हॉल प्रदर्शनी एवं मेला 3000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल	5000/- रूपये	4000/- रूपये	3000/- रूपये
17.	अन्य, जो ऊपर चिन्हित नहीं हैं।	नगरीय निकाय के आकलन के अनुसार		

उक्त दरों में प्रति तीन वर्ष बाद न्यूनतम 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

- (v) घर-घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु उक्तानुसार निर्धारित शुल्क प्रत्येक घर से वार्ड/क्षेत्र की अधिकृत संस्था/व्यक्ति द्वारा ही वसूल किया जावेगा। उक्त दरों का संस्था/व्यक्ति द्वारा उचित रीति से प्रचार-प्रसाद किया जावेगा एवं दरों को रिकशा ट्रोली/ऑटो ट्रिपर पर भी प्रदर्शित किया जावेगा। अधिकृत संस्था/व्यक्ति को रिकशा ट्रोली/ऑटो ट्रिपर पर संस्था/व्यक्ति का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना होगा।

250/-	रुपये
300/-	रुपये
20/-	पये
20/-	पये
/-	

- (vi) संस्था/व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में साप्ताहिक रिपोर्ट संबंधित निगम/परिषद/पालिका के अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि को प्रस्तुत करनी होगी।
- (vii) होटल/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय परिसरों तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों सहित झुग्गी झोपड़ी तथा इधर-उधर फैले क्षेत्रों/वस्तियों से अपशिष्ट संग्रहण करने हेतु व्यवस्था की जावेगी। इन संस्थानों से उत्पन्न बायो डिग्रेडेबल सल्वटेन्स के उदगम स्थल बन्द वाहनों में एकत्रित कर बन्द वाहनों से परिवहन कर नियमानुसार अन्तिम निस्तारण स्थल पर ले जाया जायेगा।
- (viii) इन कन्टेनर के अपशिष्ट को मानव द्वारा उठाई धराई किया जाना प्रतिषेध करना आदि किसी कठिनाई के कारण ऐसा करना अपरिहार्य हो तो कर्मकार सुरक्षा को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुये समुचित पूर्ण सावधानी के अन्तर्गत मानव द्वारा उठाई धराई की जा सकेगी।
- (ix) किसी भी व्यक्ति द्वारा जनसुविधा के लिए नगर निगम/परिषद/पालिका क्षेत्र सड़को/मार्गों/पार्को इत्यादि पर अपशिष्टों का भण्डारण हेतु उपलब्ध करवाये गये लीटर ब्रिड, कन्टेनर के भीतर कचरा न डालकर जानबूझकर कचरा बाहर फैलाना निषेध होगा व ऐसे पाये जाने वाले मौके पर ही केरीयंग चार्जज करवाये किया जा सकेगा।
- (x) नगरीय निकाय कन्टेनर्स रहित व्यवस्था भी कर सकेगी लेकिन ऐसे संस्थानों पर कचरा उठाने की बारम्बारता अधिक सुनिश्चित करनी होगी ताकि कचरा सड़को पर पड़ा नहीं रहे।
- (8) नगरीय ठोस अपशिष्टों का परिवहन :- अपशिष्टों का परिवहन करने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन ऊपर से भली-भांति ढके हुए होंगे ताकि अपशिष्ट लोगों को न तो दिखाई दे सके और न ही यातायात के दौरान अपशिष्ट मार्गों पर बिखर सकें तथा इसके लिये निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाया जायेगा -
- (i) स्थापित भण्डारक सुविधाओं से प्रतिदिन कूड़ा-कचरा साफ किया जायेगा। कूड़ादान के साथ-साथ आसपास का क्षेत्र भी साफ सुथरा रखा जायेगा।
- (ii) परिवहन वाहनों का डिजाइन ऐसा होगा जिससे कि अपशिष्ट की अन्तिम व्यवस्था करने के पूर्व बार-बार की जाने वाली उठाई धराई से बचा जा सकें।
- (9) नगरीय ठोस अपशिष्टों का प्रसंस्करण - नगरीय निकाय द्वारा नगर निगम/परिषद/पालिका क्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों को उपयोगी बनाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से स्वीकृति प्राप्त कर विधिवत आवंटित अथवा प्राप्त स्थलों पर स्वीकृत समुचित तकनीकी अथवा ऐसी विविध तकनीकों को अपनाते हुये जिससे कि भूमि भरण पर भार कम किया जा सकें के लिए निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाया जा सकेगा :-
- (i) जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के स्थिरीकरण के लिये कम्पोस्टिंग वर्मिकम्पोस्टिंग दात निरपक्ष पाचन अथवा अन्य किसी उपयुक्त जैविक संसाधन अपनाकर प्रसंस्कार किया जा सकेगा जिससे नगरीय निकाय स्वयं अपने स्तरसे अथवा किसी भी संस्था को लाईसेंस प्रदान कर बीओटी/ओ.ओ. पद्धति से कार्य करवा सकेगा।

बिना ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पेलेटाईजेशन के पत्र अथवा और कोई नवीन पद्धति है तो स्वयं या कोई सुविधा प्रचालक (डी.ओ.टी./बी.ओ.ओ.टी. पद्धति) स्थापित करने राज्य प्रदूषण नियंत्रण नण्डल से तकनीकी अनुमोदन कर किसी संस्था को अधिकृत लाईसेंस जारी कर सकेगा।

- 938
सं.
1.
2
- (10) नगरीय ठोस अपशिष्टों का व्ययन :- भूमिभरण के अतिरिक्त अनिम्नोकरणीय नगरीय अपशिष्ट अथवा अन्य ऐसे अपशिष्ट को जो न तो भूमिभरण अथवा न ही भूमिभरण के लिए समुचित है निर्वधित रखा जावेगा। भूमिभरण अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से प्रसंस्करण पूर्व छोड़े गये अपशिष्ट से भी बचा जायेगा जब तक कि अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिये उपयुक्त न पाया जाये। शरीरसह्य परिस्थितियों में नगरीय वैकल्पिक सुविधाये स्थापित किये जाने तक नगर निगम/परिषद्/पालिका को तैण्डफील साईट पर निर्धारित मानदण्डों को अपनाते हुए भूमिभरण कर सकेगा।
- (11) अभियोजन/शास्तियां :- नगरीय निकाय के नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रदूषण को हथालन की उपविधियां, 2015 के उपरोक्त किसी भी उपविधि की पालना नहीं करती अथवा उसका उल्लंघन करने पर नगरीय निकाय द्वारा राजस्थान नगर निगम अधिनियम, 2009 के तहत अभियोजन किया जा सकेगा तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 पर तत्धीन निर्मित नियमों के अनुसार अभियोजन स्वीकृति के लिए पर्यावरण विभाग को सिफारिश कर सकेगा। साथ ही नियम उपनियम समिति के कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्य करने के लिए अपनी अनुशंषा भी सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर सकेगा। सिविल कैरिग चार्ज वसूल करने में कोई अनियमितता अथवा लम्बायाही बरती हो।
- (12) निरसन और व्यावृत्तियाः- (1) इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् नगरीय नगर निगम के ठोस (अपशिष्ट प्रबन्धन व हथालन) उपविधियां, 2005 तथा इस अधिनियम में अन्य नगर निगम/परिषद्/पालिका में इसी प्रकार की इस विषय से संबंधित उपविधियां भी नाम से प्रवृत्त उपविधियां इसके द्वारा निरस्त की जाती हैं।
- (2) इन उपविधियों के प्रवर्तन आने से पूर्व में निश्चित उपविधियों के अन्तर्गत किया हुआ कोई कार्य केवल इन उपविधियों के प्रभावशील हो जाने के कारण अवैध नहीं समझा जायेगा। वशत की ऐसा कार्य इन उपविधियों के विपरीत न हो।
- (3) ऐसा निरसन इस प्रकार निश्चित उपविधियों के अधीन की गई किसी भी बात या किसी भी कार्यवाही या अर्जित या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, दी गई किसी शक्ति, समपरव या किये गये किसी अन्वेषण या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा।

"अनुसूची - अ"

उपविधियों के उल्लंघन से किए गए कृत्यों के लिए निर्धारित कैरिंग चार्ज

क्र. सं.	कृत्य	नगर निगम	नगर परिषद	नगर पालिका
1.	रहवासीय भवनों के निवासियों	100 रुपये प्रतिदिन	75 रुपये प्रतिदिन	50 रुपये प्रतिदिन
2.	दुकानदारों द्वारा कचरा डालने पर	1000 रुपये प्रतिदिन	500 रुपये प्रतिदिन	250 रुपये प्रतिदिन
3.	रेस्टोरेंट मालिकों खुला कचरा डालने पर	2000 रुपये प्रतिदिन	1000 रुपये प्रतिदिन	500 रुपये प्रतिदिन
4.	होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर	2000 रुपये प्रतिदिन	1000 रुपये प्रतिदिन	500 रुपये प्रतिदिन
5.	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर	5000 रुपये प्रतिदिन	2500 रुपये प्रतिदिन	1500 रुपये प्रतिदिन
6.	हलवाई, चाट, पकोडी, फास्ट फूड आइसक्रीम गन्ने का रस एवं अन्य ज्यूस सब्जी एवं फ्रूट आदि ढेला व्यवसायियों पर	100 रुपये प्रतिदिन	75 रुपये प्रतिदिन	50 रुपये प्रतिदिन
7.	सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने वालों पर	200 रुपये एक बार	100 रुपये एक बार	50 रुपये एक बार
8.	गोबर सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर	5000 रुपये प्रतिदिन	2500 रुपये प्रतिदिन	1500 रुपये प्रतिदिन
9.	निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा, निर्माण सामग्री, ईट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर	1000 रुपये प्रतिदिन	500 रुपये प्रतिदिन	250 रुपये प्रतिदिन
10.	निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर	1000 रुपये प्रतिदिन	500 रुपये प्रतिदिन	250 रुपये प्रतिदिन
11.	सरकारी भवनो, चौराहों एवं शहर चार दीवारी की दीवारों व उनके गेटो पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)	2000 रुपये प्रतिदिन	1500 रुपये प्रतिदिन	1000 रुपये प्रतिदिन
12.	बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर	5000 रुपये प्रतिफिट	2500 रुपये प्रतिफिट	1500 रुपये प्रतिफिट
13.	अपने मकानों का गन्दे पानी का निकास आम सड़क पर करने पर	5000 रुपये प्रतिदिन	2500 रुपये प्रतिदिन	1500 रुपये प्रतिदिन
14.	अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गन्दगी आन नाली/नाले में बहाने पर	5000 रुपये प्रतिदिन	2500 रुपये प्रतिदिन	1500 रुपये प्रतिदिन
15.	क्रमांक 02 से 06 तक वर्णित व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखनेके लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक	2000 रुपये प्रतिदिन	1000 रुपये प्रतिदिन	500 रुपये प्रतिदिन

क्रिया जमानाते हु
थ अथवा उसव
कोई नवीनतम
टी. पद्धति पर
दिन करवाकर
गीय निष्क्रिय
ही जैविक
प्रसंस्करण
तक उसे
में अथवा
वा अपने
II
घन व
करने
रिक्त
रुक्षा
लिए
से
ही
ने

940

	आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर			
18.	आम रास्ता, सड़क व फुटपाथ के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊँट, घोड़े, घोड़े, सुअर, इत्यादि फालतु जानवरों से गन्दगी फैलाने पर	2500 रुपये प्रतिदिन	2500 रुपये प्रतिदिन	2500 रुपये प्रतिदिन
19.	शादी/विवाह स्थलों के कचरा डालने पर	2500 रुपये प्रतिदिन	2500 रुपये प्रतिदिन	2500 रुपये प्रतिदिन
20.	आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुले आम मांस-मछली पकाने व अंश सड़क पे डालने व गन्दगी फैलाने पर	1000 रुपये प्रतिदिन	1000 रुपये प्रतिदिन	1000 रुपये प्रतिदिन
21.	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बैठकर सब्जियाँ बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	75 रुपये प्रतिदिन	75 रुपये प्रतिदिन	75 रुपये प्रतिदिन
22.	हॉटर कटिंग सैलून वाले द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर	75 रुपये प्रतिदिन	75 रुपये प्रतिदिन	75 रुपये प्रतिदिन
23.	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने की खाती, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर	5000 रुपये प्रतिदिन। उपाधियों का लगातार उल्लंघन करने पर अभियोजना भी चलाया जा सकेगा।	2500 रुपये प्रतिदिन। उपाधियों का लगातार उल्लंघन करने पर अभियोजना भी चलाया जा सकेगा।	5000 रुपये प्रतिदिन। उपाधियों का लगातार उल्लंघन करने पर अभियोजना भी चलाया जा सकेगा।
24.	आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर	1000 रुपये प्रतिदिन	500 रुपये प्रतिदिन	1000 रुपये प्रतिदिन
25.	प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, दवाखाना इत्यादि आम रास्ता, सड़क फुटपाथ पर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर	2000 रुपये प्रतिदिन	1000 रुपये प्रतिदिन	2000 रुपये प्रतिदिन

1. मकानवासियों द्वारा कचरा डालने पर कैरिंग चार्जज 100/- रुपये प्रतिदिन।
2. दुकानदारों द्वारा सड़क पर कचरा डालने पर कैरिंग चार्जज 250/- रुपये प्रतिदिन।
3. रेस्टोरेन्ट मालिकों द्वारा सड़क पर खुला कचरा डालने पर कैरिंग चार्जज 400 रुपये प्रतिदिन।
4. होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर कैरिंग चार्जज 500/-रुपये प्रतिदिन।
5. औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर कैरिंग चार्जज 1000/- रुपये प्रतिदिन।

9411

250 रुपये प्रतिदिन
1000 रुपये प्रतिदिन
1000 रुपये प्रतिदिन
100 रुपये प्रतिदिन
रुपये देन
रुपये
रुपये


6. हलवाई, चाट, पकोडी, फास्ट फूड आइसक्रीम गन्ने का रस एवं अन्य ज्यूस सब्जी एवं फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियों से 100/- रुपये प्रतिदिन।
7. सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने वाले पर 200/- रुपये एक बार।
8. गोबर सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर 500/- रुपये प्रतिदिन।
9. निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा, निर्माण सामग्री, ईट, सीमेंट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर 200/- रुपये प्रतिदिन।
10. निजी ट्रेक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर 1000/- रुपये प्रतिदिन।
11. सरकारी भवनो, चौराहों एवं शहर चार दीवारी की दीवारों व उनके भेदों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारों ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर) 1500/- रुपये प्रतिदिन।
12. बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर 1500/- रुपये।
13. अपने मकानों का गन्दे पानी का निकास आम सड़क पर करने पर 100/- रुपये प्रतिदिन।
14. अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर 500/- रुपये प्रतिदिन।
15. क्रमांक 02 से 06 तक वर्णित व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखनेके लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर 500/- रुपये प्रतिदिन।
16. दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साइकिल रिपेयरिंग कर आयल मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर 100/- रुपये प्रतिदिन।
17. मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गए जानवरों की हड्डियां, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क, आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर 1000/- रुपये प्रतिदिन।
18. आम रास्ता, सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊंट, गधा, घोड़े, सुअर, इत्यादि पालतु जानवरों से गन्दगी फैलाने पर 200/- रुपये प्रतिदिन।
19. शादि विवाह स्थलों के बाहर कचरा डालने पर 1000/- रुपये प्रतिदिन।
20. आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुलेआम मांस-मछली पकाने व अंश सड़क पे डालने व गन्दगी फैलाने पर 1000/- रुपये प्रतिदिन।
21. सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बैठकर खच्चरियां बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर 100/- रुपये प्रतिदिन।
22. हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर 100/- रुपये प्रतिदिन।

2500/- रुपये प्रतिदिन/उपविधियों का लगातार उल्लंघन करने पर अभियोजना भी चलाया जा सकेगा। 942

24. आमरास्ता, सडक, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोंजनालय, ढाया चलाकर गन्दगी फैलाते है। जिन्से केरिंग चार्जेज के रूप में 100/- रुपये प्रतिदिन वसूल किये जायेंगे।
25. प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, दवाखाना इत्यादि आम रास्ता, सडक फुटपाथ पर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाते है। जिससे केरिंग चार्जेज के रूप में प्रतिदिन 500/- रुपये वसूल किये जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,



Purushottam Biyani
Director & Jt. Secretary
Local Self Govt. Department
Raj., Jaipur


(पुरुषोत्तम बियाणी)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक. F 55 (C) C.E./डीएलबी/15/ 6626-7076
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक : 11-03-2015

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
5. महापौर/समापति/अध्यक्ष, समस्त नगर निगम, नगर परिषदें एवं नगर पालिकाएँ, राजस्थान।
6. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान।
7. संभागीय आयुक्त(समस्त), राजस्थान।
8. जिला कलेक्टर(समस्त), राजस्थान।
9. परियोजना निदेशक, 'आर यू आई डी पी'।
10. कार्यकारी निदेशक, रू फि ड को।
11. निदेशक/अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना राज्य एवं जनहित में अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः इसे राजपत्र के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशित कराये जाने का श्रम करावें साथ ही राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियां भी विभाग को उपलब्ध करायी जावें।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम, नगर परिषदें एवं नगर पालिकाएँ(समस्त), राजस्थान।
13. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
14. क्षेत्रीय उप निदेशक(समस्त), स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान।
15. सुरक्षित पत्रावली।


अशोक कुमार सिंह
(वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी)

- // TRUE COPY // -

Proposed cluster for re-tendering

Cluster No.	Name of Center ULB & District	Name of ULBs	App. Waste Generated 0.4 kg per capita (in MT)	Project Cost in Lacs (10 cr. For 100 TPD)
1	Ajmer	Ajmer	216.93	10000
		Pushkar	8.65	
		Total	225.58	
2	Kishangarh	Kishangarh	61.95	558
3	Kotputli	Kotputli	19.68	450.50
		Behror	11.81	
		Shahapura	13.56	
		Total	45.05	
4	Dausa	Dausa	34.38	659.90
		Bandikui	17.87	
		Lalsot	13.75	
		Total	65.99	
5	Barmer	Barmer	38.49	384.90
6	Balotra	Balotra	29.80	297.90
7	Jaisalmer	Jaisalmer	26.19	261.80
8	Abu Road	Aburoad	22.24	314.16
		Mount Abu	9.18	
		Total	31.42	
9	Sawaimadhapur	Sawaimadhapur	48.44	534.62
		Uniyara	5.02	
		Total	53.46	
10	Makrana	Makrana	46.52	861.90
		Parbatsar	6.07	
		Kuchamancity	24.79	
		Nawa	8.84	
		Total	86.21	
11	Chittorgarh	Chittorgarh	46.56	465.60
12	Churu	Churu	48.06	624.80
		Ratannagar	5.14	
		Bisau	9.29	
		Total	62.49	
13	Jhalawar	Jhalawar	26.77	417.70
		Jhalrapatan	15.00	
		Total	41.77	
14	Khairthal	Khairthal	15.32	425.10
		Rajgarh	10.65	
		Kishangarhbas	8.33	
		Viratnagar	8.23	
		Total	42.52	
15	Bhiwadi	Bhiwadi	41.97	518.20
		Tijara	9.90	
		Total	51.87	
16	Shrimadhapur	Shrimadhapur	12.55	346.19
		Khandela	11.62	
		Ringus	10.46	
		Total	34.62	
17	Fatehpur	Fatehpur	37.04	716.70
		Laxmangarh	21.36	
		Ramgarh Shekhawati	13.21	
		Total	71.60	

Proposed cluster for re-tendering

Cluster No.	Name of Center ULB & District	Name of ULBs	App. Waste Generated 0.4 kg per capita (in MT)	Project Cost in Lacs (10 cr. For 100 TPD)
18	Surajgarh	Surajgarh	8.67	443.50
		Pilani	11.90	
		Vidhyavihar	6.26	
		Chirawa	17.58	
		Total	44.40	
19	Deedwana	Deedwana	21.50	728.50
		Ladnu	26.23	
		Deqana	13.73	
		Losal	11.40	
		Total	72.86	
20	Merta City (Nagaur)	Merta City	18.43	184.20
21	Kekri	Kekri	16.76	249.04
		Sarwar	8.15	
		Total	24.90	
22	Vijaynagar (Bhilwara)	Vijaynagar	12.85	236.80
		Gulabpura	10.89	
		Total	23.74	
23	Shahpura (Bhilwara)	Shahpura	12.13	291.60
		Jahajpur	8.23	
		Deoli	8.83	
		Total	29.19	
24	Phalodi (Jodhapur)	Phalodi	19.97	199.60
25	Bhinmal	Bhinmal	19.17	539.50
		Jalore	21.63	
		Sanchor	13.15	
		Total	53.96	
26	Bilada	Bilada	15.84	395.90
		Pipadcity	14.72	
		Jaitaran	9.05	
		Total	39.61	
27	Sirohi	Sirohi	15.69	254.80
		Pindwada	9.79	
		Total	25.49	
28	Sojatcity	Sojatcity	17.21	172.10
29	Deeg	Deeg	18.00	434.30
		Nagar	10.23	
		Kaman	15.22	
		Total	43.44	
30	Banswara	Banswara	40.41	446.60
		Kushalgarh	4.27	
		Total	44.67	
31	Pratapgarh	Pratapgarh	16.83	241.70
		Choti Sadari	7.45	
		Total	24.28	
32	Dungarpur	Dungarpur	19.08	308.50
		Sagwara	11.78	
		Total	30.86	
33	Nimbahera	Nimbahera	24.78	382.00
		Badi Sadri	6.29	
		Bhinder	7.15	

945

Proposed cluster for re-tendering

Cluster No.	Name of Center ULB & District	Name of ULBs	App. Waste Generated 0.4 kg per capita (in MT)	Project Cost in Lacs (10 cr. For 100 TPD)
		Total	38.22	
34	Raisinghnagar	Raisinghnagar	11.33	310.50
		Padampur	7.37	
		Anoopgarh	12.35	
		Total	31.05	
35	Suratgarh	Suratgarh	28.21	504.90
		Shrivijaynagar	7.37	
		Pili Banga	14.92	

Proposed cluster for re-tendering

Cluster No.	Name of Center ULB & District	Name of ULBs	App. Waste Generated 0.4 kg per capita (in MT)	Project Cost in Lacs (10 cr. For 100 TPD)
		Total	50.50	
36	Nokha	Nokha	25.08	324.60
		Deshnok	7.39	
		Total	32.47	
37	Sujangarh	Sujangarh	40.61	627.70
		Bidasar	14.27	
		Chhapar	7.90	
		Total	62.78	
38	Sardar Shahar	Sardar Shahar	38.36	383.60
39	Ratangarh	Rajaldesar	10.97	607.40
		Ratangarh	28.45	
		Sridungargarh	21.32	
		Total	60.74	
40	Nohar	Nohar	19.93	502.30
		Rawatsar	14.04	
		Bhadra	16.26	
		Total	50.24	
41	Lakheri	Lakheri	11.83	225.90
		Nainwa	7.79	
		Indergarh	2.98	
		Total	22.60	
42	Kapren	Kapren	8.30	181.40
		Keshoraipatan	9.85	
		Total	18.15	
43	Kapasana	Kapasana	8.35	174.70
		Fateh Nagar	9.12	
		Total	17.47	
44	Malpura	Malpura	14.41	238.30
		Todaraisingh	9.42	
		Total	23.83	
45	RamganjMandi	Ramganj Mandi	16.53	385.63
		Bhawanimandi	16.91	
		Pirawa	5.12	
		Total	38.57	
46	Udaipur	Udaipur	180.44	9000.00
47	Nagaur	Nagaur	42.09	582.22
		Kuchera	9.39	
		Mundwa	6.75	
		Total	58.22	
			2173.20	37395.76

- // TRUE COPY // -

10.08.2016

Status of Processing Plants of MSW

S.No	City/Town	Processing Technology	Plant Capacity (TPD)	Highest Royalty payable by Contractor to ULB	Name of Firm	Status
1	Jaipur	WtE (RDF)	350	On PPP	M/s Grasim India Ltd	Under capacity running
2	Jaipur	Compost	250	Royalty	M/s IL&FS	Running full capacity
3	Jodhpur	Compost	150		Re-tender for O&M	Not running
4	Pratapgarh	Vermi Compost	4			Running
5	Dungarpur	Vermi Compost	4			Running
6	Bikaner	Compost+RDF	258	Tipping fee Rs 608 per ton on out put	M/s IL&FS	U/execution
7	Sikar	Compost+RDF	98	Tipping fee Rs 1000 per ton on out put	M/s IL&FS	U/execution
8	Karauli+Hindon+Gangapur	Compost+RDF	123	Tipping fee Rs 1000 per ton on out put	M/s IL&FS	U/execution
9	Rajsmamand+Nathd wara	Compost+RDF	44	Tipping fee Rs 1095 per ton on output and disposal of waste	M/s Durga Impex Udaipur	U/execution
10	Sheoganj+Sumerpur+Takhatar	Compost+RDF	40	Tipping fee on input for Processing is Rs 351/Ton	M/s Durga Impex Udaipur	U/execution
11	Pali	Compost+RDF	93.03	Royalty Rs 301/Ton on SLF input	M/s Rollz Material Handling System Pvt. Ltd. New Delhi	U/execution
12	Bharatpur	Compost+RDF	101.14	Royalty Rs 101/Ton on SLF input	M/s Rollz Material Handling System Pvt. Ltd. New Delhi	U/execution
13	Kota	Waste to Energy	400	Royalty Rs 122/Ton on processing plant input	M/s Associated Stone Industries, Mumbai	Bid approved, letter sent to ULB on 23.08.2016 for execution of agreement
14	Jaipur	Waste to Energy	600	Royalty Rs 66/Ton on processing plant input	M/s JITF Urban Infrastructure Ltd. New Delhi.	Bid approved, letter sent to ULB on 23.08.2016 for execution of agreement

10.08.2016

Status of Processing Plants of MSW

S. No.	City/Town	Processing Technology	Plant Capacity (TPD)	Highest Royalty payable by Contractor to ULB	Name of Firm	Status
15	Alwar	Compost+RDF	129	Royalty Rs 151/Ton on SLF input	M/s Rollz Material Handling System Pvt. Ltd. New Delhi	Bid approved, letter sent to ULB on 23.08.2016 for execution of agreement
16	Tonk-Newai	Compost+RDF	81.22	Royalty Rs 57/Ton on SLF input	M/s Zonta Infratech Pvt. Ltd. Bangalore	Bid approved, letter sent to ULB on 23.08.2016 for execution of agreement
17	Beawar	Compost+RDF	60.46	Royalty Rs 51/Ton on SLF input	M/s Rollz Material Handling System Pvt. Ltd. New Delhi	Bid approved, letter sent to ULB on 23.08.2016 for execution of agreement
18	Bhilwara	Compost+RDF	143.79	Royalty Rs 401/Ton on SLF input	M/s Rollz Material Handling System Pvt. Ltd. New Delhi	Bid approved, letter sent to ULB on 23.08.2016 for execution of agreement
19	Bundi	Compost+RDF	41.97	Royalty Rs 59/Ton on SLF input	M/s Zonta Infratech Pvt. Ltd. Bangalore	Bid approved, letter sent to ULB on 23.08.2016 for execution of agreement
20	Baran-Anta	Compost+RDF	60.15	Royalty Rs 38/Ton on SLF input	M/s Zonta Infratech Pvt. Ltd. Bangalore	Bid approved, letter sent to ULB on 23.08.2016 for execution of agreement
21	Hanumangarh	Compost+RDF	60.38	Royalty Rs 153/Ton on SLF input	M/s Allied Energy Systems Pvt. Ltd. New Delhi	Bid approved, letter sent to ULB on 23.08.2016 for execution of agreement

10.08.2016

Status of Processing Plants of MSW

No.	City/Town	Processing Technology	Plant Capacity (TPD)	Highest Royalty payable by Contractor to ULB	Name of Firm	Status
22	Sri Ganganagar	Compost+RDF	95.11	Royalty Rs 230/Ton on SLF input	M/s Allied Energy Systems Pvt. Ltd. New Delhi	Bid approved, letter sent to ULB on 23.08.2016, agreement executed
23	Jodhpur	Waste to Energy	400	Royalty Rs 126/Ton on processing plant input	M/s JITF Urban Infrastructure Ltd. New Delhi.	Project approved in HPC, bid under approval in SLEC
24	Jhunjhunu + Bagga r + Udaipurwati	Compost+RDF	65	Royalty Rs 101/Ton on SLF input	M/s Allied Energy Systems Pvt. Ltd. New Delhi	Project approved in HPC, bid under approval in SLEC
Total TPD				3652.25		

- // TRUE COPY !! -